रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082020-221333
CG-DL-E-25082020-221333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2020/भाद्र 3, 1942
No. 23] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2020/BHADRA 3, 1942

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, **25** अगस्त, 2020

आ.अ. 23(अ)**.—** यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री अमर सिंह का स्थान जिनकी पदावधि 04.07.2022 सहित उस तारीख तक थी के समाप्त होने से पूर्व उनका निधन होने के कारण 01.08.2020 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147 धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा-

(अ) उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 14 सितम्बर, 2020 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध मेः-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख – 01सितम्बर,2020 (मंगलवार);

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 02 सितम्बर,2020 (बुधवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख – 04 सितम्बर,2020 (शुक्रवार);

(घ) वह तारीख जिस को यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा – 11 सितम्बर, 2020 (शुक्रवार);और

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा –14 सितम्बर,2020 (सोमवार);

नियत करता है;

और

(इ) 09.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[सं. 100/रा.स.-उ.प्र./04/2020(1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2020

O.N. 23 (E).—WHEREAS, the seat of Shri Amar Singh in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh, has become vacant on 01.08.2020 by the reason of his death, before the expiration of his term of office which was up to and including 04.07.2022; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to elect, before 14th September, 2020 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

(B) **appoints,** with respect to the said election;

(a) the 01st September,2020 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 02nd September, 2020 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the04th September,2020 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 11th September, 2020 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 14th September, 2020 (Monday), as the date before which the election shall be completed;

and

(C) **fixes the hours** from **9:00 a.m. to 4:00 p.m.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/CS-UP/04/2020(1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA